न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 21/2024
जी.सी.एम.एस. : 2024/109

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
मृतक तेजाराम पुत्र धन्नाराम के कायम मुकाम :– 1/1. कुकीदेवी पत्नी स्व. श्री तेजाराम 1/2. उपेन्द्र सांखला पुत्र स्व. श्री तेजाराम 1/3. गिरीश सांखला पुत्र स्व. श्री तेजाराम 1/4. कुन्दन सांखला पुत्र स्व. श्री तेजाराम निवासीगण गंगा पेट्रॉल पम्प के पीछे, सोजत सिटी जिला पाली (राज.) 1/5. विमला देवी पुत्री स्व. श्री तेजाराम निवासी गणेशजी की बावड़ी, सोजत सिटी, जिला पाली (राज.)		1. राजस्थान राज्य जरिये कार्यालय सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.) 2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय पता 188, दी उम्मेद हैरिटेज रातानाडा जोधपुर (राज.)

अन्तर्गत धारा 3 G (V) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल सोनी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16.06.2025

उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायालय के प्रकरण संख्या 63/2017 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 के प्रति–प्रेषण आदेशों के क्रम में दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल सोनी उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि मुआवजा राशि के निर्धारण का मुख्य बिन्दु यह है कि भूमि अवाप्ति के गजट नोटिफिकेशन में खसरा संख्या 1902/1 के स्थान पर खसरा संख्या 1902 प्रकाशित हुआ है जिसके आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है जो मूल रूप से न्याय एवं कानून के विरूद्ध है क्योंकि प्रार्थी की आबादी भूमि खसरा संख्या 1902/1 अवाप्त की गई है जबकि मुआवजा कृषिभूमि खसरा संख्या 1902 के हिसाब से गणना कर की गई थी जो कानूनन ही नहीं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के भी विपरीत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अवाप्त की गई खसरा संख्या 1902/1 के मुल्यांकन के अनुसार मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का आदेश फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में सिविल अपील संख्या 220/2007 (arising out of SLP (C) No. 8077 of 2006) decided on 15.01.2007 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

श्रवणशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में आवेदक द्वारा एक माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 7/2015 के संदर्भ में अपनी भूमि का मुआवजा कम दिया जाना वर्णित करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी 5 के तहत पेश किया जिसमें इस

जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय ने उक्त माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र को अपने निर्णय दिनांक 11.07.2017 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र के निर्णय के विरूद्ध आवेदक द्वारा अन्तर्गत 34 आरबिट्रेशन एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत अपनी आपत्ति जिला न्यायाधीश पाली के यहां दीवानी विविध प्रकरण संख्या 63/2017 के तहत पेश की जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2024 से भूमि के मुआवजे पर पुनर्विचार करने एवं उभयपक्षों को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करने बाबत् प्रकरण इस न्यायालय को प्रति–प्रेषित किया। उक्त प्रति–प्रेषण आदेशों की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज कर आवेदक को सुना गया, जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी का प्रमुख उज्र यह रहा कि प्रार्थी की भूमि अवाप्ति बाबत् प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में खसरा संख्या 1902 प्रकाशित हुआ एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उसके अनुसार ही प्रार्थीगण को मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया जबकि वास्तविकता में प्रार्थी की खसरा संख्या 1902/1 अवाप्त की गई। चूंकि प्रार्थी की खसरा संख्या 1902/1 किस्म आबादी अवाप्त की गई है जबकि मुआवजा खसरा संख्या 1902 किस्म कृषिभूमि के हिसाब से जारी किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के भी विपरीत है।

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सोजत के पत्रांक/रीडर/2024/365 दिनांक 29.12.2023 के अनुसार प्रार्थी की खसरा संख्या 1902 अवाप्त की गई है एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी ने प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना में अंकित खसरा संख्या 1902 के अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी जिस खसरा संख्या 1902/1 के बारे में जिक्र कर रहा है वह भूमि नोटिफिकेशन में शामिल ही नहीं है अर्थात् नोटिफिकेशन से पृथक भूमि जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग ने काम में ली है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा बताई गई पृथक से राष्ट्रीय राजमार्ग के कब्जे की भूमि के मुआवजे का निर्धारण Arbitrator द्वारा किया जाना संभव नहीं है। प्रकरण के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G(v) के अनुसार " if the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-section (2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government" अर्थात् भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित किये गये "अवॉर्ड राशि" के संबंध में कोई विवाद की स्थिति में न्यायालय हाजा के समक्ष माध्यस्थम के रूप में प्रकरण पेश किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नोटिफिकेशन में वर्णित खसरा संख्या की ही भूमि का मुआवजा प्रदान किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित किये गये अवॉर्ड के संबंध में कोई विवाद नहीं किया गया जबकि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में खसरा संख्या के अंकन में त्रुटि एवं उससे पृथक भूमि के अवाप्ति के संबंध में आपत्ति व्यक्त की गई है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग ने नोटिफिकेशन में वर्णित भूमि से इतर प्रार्थी की भूमि को काम में लिया है तो उक्त त्रुटि संशोधन न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से परे है। इसलिए न्यायालय हाजा जैर मुआवजा आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता। उक्त प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में खसरा संख्या त्रुटि निराकरण के संबंध में प्रार्थी चाहे तो राष्ट्रीय राजमार्ग की धारा स्वैच्छिक क्रम के विकल्प या सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने को स्वतंत्र है।

लिहाजा हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगत प्रार्थीगण का जैर माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र सारहीन होन से खारिज किया जाता है तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तय किये गये मुआवजे में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते।

निर्णय आज दिनांक **16.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली